# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 –22/2020

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सत्यनारायण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. प्रतिभा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानूप्रताप सिंह **वादी**
श्री धर्मपाल बेरवाल **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** दिनांक: 16/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के खाता सं 218/196 के खसरा सं 107/1, 224/1, 294/1, 338/2 की कुल 11.2550है0 बारानी कृषी भूमि की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रामलाल के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 जयसिंह के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 रामकुमार के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी के साक्ष्य

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्सरी प्रदर्श 1 जमाबंदी सवतं 2070–73 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के खाता सं 218/196 के खसरा सं 107/1, 224/1, 294/1, 338/2 की कुल 11.2550है0 बारानी कृषी भूमि की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 रामकुमार तीनों बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के खाता सं 218/196 के खसरा सं 107/1, 224/1, 294/1, 338/2 की कुल 11.2550है0 बारानी कृषी भूमि की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में वादी सं 1 रामनिवास वादी सं 2 सत्यनारायण प्रतिवादी सं 1 रामकुमार तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 रामकुमार के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ